उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 अपील सं0– 04/2020–21

जय प्रकाश झा ..... अपीलकर्ता

बनाम्

झारखण्ड सरकार .....उत्तरकारी

।। आदेश ।।

12/02/2021 यह रे0मि0 अपील वाद जय प्रकाश झा बनाम् झारखण्ड सरकार के बीच समाहर्त्ता सह वन प्रमंडल पदाधिकारी, दुमका के बीच बी.पी.एल.ई. वाद संख्या 90/2017 में पारित आदेश दिनांक 07.07.2020 के विरूद्ध दायर किया गया है जिसमें अपीलकर्त्ता को मौजा बन्दरजोरी के जमाबन्दी सं0 76 के दाग सं0 456 रकवा 03 (तीन) बीघा जमींन से उच्छेदित किया गया है जो गत गैंजर सर्वे सेटेलमेंट में "राखा जंगल" बोलकर दर्ज है।

मैंने अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना, उत्तरकारी सरकार की ओर से सरकारी अधिवक्ता का सुना तथा अभिलेख में दाखिल कागजातों को अवलोकन किया।

अभिलेख में उपलब्ध कागजात एवं निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलकर्त्ता के पिता को प्रश्नगत जमींन उपायुक्त, संताल परगना, दुमका के रे0मि0 पिटिशन सं0 255/1955–56 में पारित आदेश दिनांक 13.01.1959 द्वारा 03 (तीन) बीघा जमींन की बन्दोबस्ती प्राप्त हुआ है। तत्पश्चात अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के एस.आर. वाद सं0 39/1954–55 के आदेशानुसार कोर्ट अमीन द्वारा स्थल पर जाकर ग्रामीण गवाहों की उपस्थिति में जमींन का नापी एवं ट्रेस नक्शा के साथ बसगढ़ी कर प्रतिवेदन दाखिल किया गया है। जमींन की बन्दोबस्ती के पूर्व वन प्रमंडल पदाधिकारी, संताल परगना प्रमंडल, दुमका के

पत्रांक 2834 दिनांक 21.05.1955 द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका को बन्दोबस्ती हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त है।

बन्दोबस्ती प्राप्ति के पश्चात प्रश्नगत जमींन को रजिस्टर–।। में जमाबंदी सं0 76/ख के रूप में अपीलकर्त्ता के पिता कपिलेश्वर झा के नाम से दर्ज किया गया है जिसमें अपीलकर्त्ता द्वारा 2015 तक लगान का भुगतान किया गया है, जिसकी छायाप्रति दाखिल किया गया है।

उपायुक्त, संताल परगना, दुमका के रे0मि0 पिटिशन वाद सं0 255/1955–56 में पारित आदेश दिनांक 13.01.1959 के द्वारा अपीलकर्त्ता के पिता के अलावे अन्य व्यक्तियों के साथ भी जमींन की बन्दोबस्ती की गई है। बन्दोबस्ती प्राप्त जमींन का सीमांकन अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका द्वारा बन्दोबस्ती कर्त्ता के साथ बन्दोबस्ती किया गया है। माननीय आयुक्त, सं0प0प्र0, दुमका द्वारा रे0मि0 अपील सं0 106/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 28.07.2018 द्वारा उक्त जमाबंदी से संबंधित अन्य व्यक्ति के जमींन की बन्दोबस्ती को सही माना गया है।

दाग सं0 456 में जमींन बदलैन विवाद के संबंध में सरकारी अधिवक्ता, दुमका ने अपना मन्तव्य पत्रांक 72/2017 दिनांक 06.09.2017 द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकारी, दुमका को समर्पित किया गया है जिसकी प्रति इस न्यायालय के रे0मि0 पिटीशन सं0 01/2018–19 में उपलब्ध है। सरकारी अधिवक्ता द्वारा अपने मन्तव्य में उल्लेख किया गया है कि–

> More so regarding the Khash reserve Forest land sub para(b) of Para 41 of Mr. Gentzer report also clearly says "That these are blocks of Jungle which are not excluded from village but in which the proprietor possesses full right over timber subject to the restrictions

(4)

imposed in excluded block no reclamation may be made with the sanction of the Deputy commissioner" here in this case the reclamation is made with the permission of the Deputy Commissioner, Santhal Pargana much before passing the forest Conservation Act 1988.

From the fact stated above in my opinion the proceeding started against the Ops under Bihar Public Land Encroachment Act is nothing but misuse the power confirmed under the law.

इस प्रकार उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि अपीलकर्त्ता को प्रश्नगत जमींन की बन्दोबस्ती वन प्रमंडल पदाधिकारी से अनापत्ति मिलने के पश्चात उपायुक्त, संताल परगना ~~प्रमंडल,~~ दुमका द्वारा Forest Conservation Act 1988 के लागू होने के काफी पूर्व में प्राप्त हुआ है तथा अपीलकर्त्ता दखल करते हुए लगान का भी भुगतान कर रहा है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय द्वारा उन्हें प्रश्नगत जमींन से उच्छेद किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को विलोपित करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।

इसी समीक्षा के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। 33 DBA-20/4/21

लेखापित एवं संशोधित ।

उपायुक्त
दुमका।
17/02/2021

उपायुक्त
दुमका।
17/02/2021

Digitally signed by RAVI SHANKAR SHUKLA
Date: 2022.12.07 14:12:16 +05:30
Location: 169.254.227.244